

निर्धारित 75-125 की जगह 200-250 की अवैध वसूली, तीन-तीन सेंटर से मोटी कमाई!

लैलूंगा में नियमों की अनदेखी, प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग

प्रति,

तहसीलदार महोदय

तहसील - लैलूंगा, जिला - रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विषय - नियम विरुद्ध निजी भवन में आधार सेंटर संचालित कर अवैध वसूली के संबंध में शिकायत एवं कार्यवाही हेतु आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि तहसील लैलूंगा क्षेत्र में आधार सेवा के नाम पर खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार श्री राजेश भगत द्वारा अलग-अलग नामों से तीन स्थानों पर आधार सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। यह सभी सेंटर निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट एवं सख्त निर्देश जारी किया गया है कि आधार सेंटर केवल शासकीय भवनों में ही संचालित किए जाएं।

उक्त आदेश की अवहेलना कर निजी परिसरों में संचालन किया जाना सीधे-सीधे प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन है। इससे न केवल शासन के निर्देशों की अनदेखी हो रही है, बल्कि आम जनता के हितों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

महोदय, शासन द्वारा आधार संबंधित सेवाओं के लिए निर्धारित शासकीय शुल्क 75 रुपये एवं 125 रुपये तय है, परंतु इन केंद्रों में 200 से 250 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यह वसूली पूरी तरह से अवैध, नियम विरुद्ध एवं जनता के साथ खुली लूट के समान है। ग्रामीण एवं गरीब वर्ग, जो पहले से आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उन्हें मजबूरी में यह अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ रही है।

स्थिति यह है कि आधार अपडेट, सुधार या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने वाले नागरिकों से बिना रसीद के मनमाना शुल्क लिया जा रहा है। यदि कोई नागरिक निर्धारित दर की बात करता है, तो उसे कार्य में देरी या असुविधा का डर दिखाया जाता है। इससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

तीन-तीन केंद्रों का अलग-अलग नाम से संचालन कर नियमों को दरकिनार करना गंभीर जांच का विषय है। यदि जिला स्तर से पूर्व में आदेश जारी हो चुका है, तो उसके बावजूद निजी भवनों में संचालन होना प्रशासनिक कार्यवाही या मिलीभगत की ओर भी संकेत करता है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि—

1. निजी भवनों में संचालित सभी आधार केंद्रों की तत्काल जांच कराई जाए।
2. निर्धारित शासकीय दर से अधिक वसूली की जांच कर दोषियों पर सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
3. भविष्य में केवल शासकीय भवन में ही आधार सेंटर संचालित करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
4. अवैध रूप से वसूली गई राशि की वापसी की व्यवस्था कराई जाए।
5. संलिप्त ऑपरेटर एवं संचालक के लाइसेंस/अनुमति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।


पंकज कुमार सिंह

महोदय, यह मामला केवल नियम उल्लंघन का नहीं, बल्कि आम जनता के आर्थिक शोषण का है। यदि समय रहते कड़ी कार्यवाही नहीं की गई, तो यह प्रवृत्ति और बढ़ सकती है, जिससे शासन की छवि भी धूमिल होगी।

आपसे अपेक्षा है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए त्वरित जांच एवं कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक - 9/2/2026



भवदीय

(आवेदक)

नाम - पंकज कुमार सिंह

पता - लोहिया

मोबाइल - 7509127461